न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 115/2017

दायर दिनांक–03.10.2017

1. बनवारी पुत्र प्रभात जाति मेघवाल निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज) हाल आबाद ग्राम पीपराली जिला सीकर (राज0)

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. मूलचन्द पुत्र श्री प्रभात जाति मेघवाल निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील अनावेदक :– श्री विजेन्द्र सिंह दूत

प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक–30.01.23

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–वाके ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी में आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 स्थित है एवं ग्राम पहाड़िला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 663/180 रकबा 1.2150 है0 स्थित है। उक्त आराजी वाद की विषय वस्तु है। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी क नाम से सम्बोधित किया गया है। आवेदक के दादा स्व0 टोड़ा पुत्र लादू के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम चिराना में खसरा नम्बर 2986 रकबा 1.40 है0 स्थित है। जिसके आवेदक के दादा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। ग्राम चिराना में अन्य भूमि खसरा नम्बर 5118 रकबा 4.79 है0 में आवेदक के दादा टोडा का 1/2 हिस्सा था जिसके आवेदक के दादा टोडा पुत्र लादू रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। आवेदक के दादा अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी बाबत कोई वसीयत निष्पादित नही की थी अर्थात आवेदक के दादा स्व0 टोडा की उपरोक्त वर्णित आराजी निर्वसियति सम्पति रही है। आवेदक के दादा का स्वर्गवास 1980 के लगभग हुआ उस समय आवेदक मात्र 8 वर्ष का था इससे पूर्व ही आवेदक के पिता का स्वर्गवास हो गया था तब आवेदक मात्र 2 वर्ष का ही था। आवेदक के दादा का जब स्वर्गवास हुआ तब उनके जीवित विधिक उत्तराधिकारी आवेदक का चाचा गणेश व आवेदक व आवेदक का भाई मूलाराम व नन्दलाल व आवेदक की बहिन नानची थे जिनमें आवेदक के दादा स्व0 टोडा की सम्पति न्यायगत हुई अर्थात स्व0 टोडा की सम्पति में 1/2 हिस्सा उनके पुत्र गणेश को प्राप्त हुआ व 1/2 हिस्सा स्व0 टोडा के मृत पुत्र प्रभात के पुत्रों व पुत्री को प्राप्त हुआ। आवेदक के दादा स्वर्गीय टोडा अपने जीवनकाल तक हिन्दू रहे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई खातेदार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनका उतराधिकार उनकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार होगा। इसलिए स्वर्गीय टोडा की उपरोक्त वर्णित सम्पति हिन्दू उतराधिकार 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायगत होगी। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के दादा स्व0 टोडा की खातेदारी भूमि का विरासतन राजस्व रिकॉर्ड उनके पुत्र गणेश व मृत पुत्र प्रभात के पुत्र मूलाराम व नन्दलाल, बनवारी व पुत्री नानची के नाम से दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधि विरूद्व रूप से स्व0 टोडा के मृत पुत्र प्रभात के पुत्र मूलाराम व नन्दलाल , बनवारी व पुत्री नानची के नाम से दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधि विरूद्व रूप से स्व0 टोडा के मृत पुत्र प्रभात के सभी वारिसान के नाम दर्ज नही करते हुये अब अनावेदक नम्बर 1 मूलचन्द व नन्दलाल के नाम से दर्ज कर दिया जो राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये मनमर्जी से गलत दर्ज किया है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड आवेदक के हक अधिकारों पर [illegible] प्रभावी है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व ग्राम चिराना में स्थित थी। राजस्व ग्राम चिराना से [illegible] राजस्व ग्राम पहाडिला व बागोरियां की ढ़ाणी सृजित हुये तब उक्त आराजी खसरा नम्बर 5118 रकबा 4.89 है0 ग्राम पहाड़िला की सरहद में रही ग्राम पहाडिला के खसरा नम्बर 180 रकबा 4.89 है0 बने। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2986 रकबा 1.40 है0 ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी के नये खसरा नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 बने। ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 में 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड मूलाराम व नन्दलाल के नाम गलत दर्ज रहा है। जबकि उक्त आराजी स्व0 टोडा के मृत पुत्र प्रभात के पुत्र आवेदक बनवारी, अनावेदक नम्बर 1 मूलाराम व नन्दलाल व पुत्री नानची का बराबर बराबर 1/4–1/4 हिस्सा था। जिनमें से नन्दलाल अविवाहित फौत हो गया जिसके विधिक उत्तराधिकारी आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 मूलाराम है व नानची का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 है इसलिए ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 में मूलाराम व नन्दलाल के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के स्थान पर 3/16 हिस्सा आवेदक का, 3/16 हिस्सा अनावेदक नम्बर 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 का घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। ग्राम पहाडिला की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 4.89 है0 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदारान के मध्य विभाजन हो गया। भूमि खसरा नम्बर 663/180 रकबा 1.2150 है0 अनावेदक नम्बर 1 मूलाराम व नन्दलाल के नाम दर्ज है जिसके स्थान पर 3/8 हिस्सा आवेदक का, 3/8 हिस्सा अनावेदक नम्बर 1 का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश है। आवेदक जब 2 वर्ष का था तब ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था आवेदक जब 11 वर्ष का था तब आवेदक की माता का भी स्वर्गवास हो गया था। आवेदक का भाई नन्दलाल ग्राम पिपराली में अपने नाना के खेत को काश्त करता था। आवेदक के माता फौत होन पर आवेदक का भाई नन्दलाल अपने साथ आवेदक को ले गया जहां पर आवेदक का पालन पोषण किया। आवेदक व उसका भाई नन्दलाल ग्राम पिपराली में रहते थे और अपने नाना की जमीन को काश्त करते थे ग्राम पहाडिला व बागोरियां की ढ़ाणी की जमीन को अनावेदक नम्बर 1 मूलचन्द काश्त करता था आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 में अच्छा प्रेम व विश्वास था इस कारण आवेदक ने पूर्व में कभी राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा दिनांक 29.08.2017 को आवेदक का भाई नन्दलाल फौत हो गया तो उसकी फौतगी का इन्तकाल भरवाने के लिए आवेदक हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने आवेदक को बताया कि जमीन में तुम्हारा नाम नही है इस पर आवेदक ने दिनांक 10.09.2017 को हल्का पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की व दिनांक 15.09.2017 को तहसील कार्यालय से गत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तो आवेदक को उक्त वस्तुस्थिति का पता चला इसके बाद आवेदक ने अनावेदक नम्बर 1 से उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया व आवेदक को उक्त भूमि में से कुछ भी नही देने की ऐलानियां धमकी दी जिसे तुरन्त पश्चात आवेदक के हक अधिकारों की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। आवेदक का अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अनावेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जाना आवश्यक है। आवेदक के हक अधिकारों की पैत्रिक भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक के नाम से गलत दर्ज हुआ है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड आवेदक के हक अधिकारों पर शुन्य प्रभावी है। गलत रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार पर शुन्य प्रभावी है। गलत रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार नही मिलते है। आवेदक का कानूनन उक्त आराजी में हक अधिकार है इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। यदि अनावेदक गलत राजस्व रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम दर्ज आराजी को विक्रय करके या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देगा । या पेड़ पौधे काटकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगा तो आवेदक को अनावश्यक मुकदमा बाजी में फसना होगा जिसमें आवेदक का अनावश्यक धन व समय व्यर्थ होगा जिसकी आर्थिक रूप से गणना की जाना किसी के रूप से गणना की जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगा। इसलिए अनावेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध फरमाया जाना आवश्यक है। जिसके उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह दूत उपस्थित न्यायालय आये। तथा [illegible] की खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया [illegible] ना पत्र की धारा 1 में उपरोक्त उनवानी दावा पेश करना स्वीकार है लेकिन [illegible] प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि का स्थित होना स्वीकार है [illegible] पत्र की धारा 3 में दर्ज टोडाराम की वंशावली गलत व अधूरी होने से अस्वीकार है। आवेदक को स्व0 टोडा के वारीसान का भी पता नही है। गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 में द[illegible]श्नगत कृषि भूमि स्व0 टोडा पुत्र लादू की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना स्वीकार है तथा शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता का पिता प्रभात का स्वर्गवास दिनांक 25.10.1962 को हुआ है। इस कारण उत्तरदाता के दादा टोडा का स्वर्गवास होने पर उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि में स्व0 प्रभात के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ

सम्पूर्ण कृषि भूमि का इन्तकाल उत्तरदाता व उनके भाई नन्दलाल के पक्ष में भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई है तथा उसके पश्चात उत्तरदाता का भाई नन्दलाल उर्फ लहरीदास का दिनांक 29.08.2017 को डॉ0 अरविन्द मेमोरियल जिलोवा होस्पिटल मकराना में स्वर्गवास हो गया है। जिसका वारीस व उत्तराधिकारी उत्तरदाता है। इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार उत्तरदाता है तथा उत्तरदाता ही काबिज व आबाद है और उपयोग उपभोग कर रहा है लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उत्तरदाता के मृतक भाई नन्दलाल का नाम दर्ज रहने से राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज हो रहा है। जिसको दुरुस्त करवाकर स्व0 प्रभात के सम्पूर्ण हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है और ना ही उसका कब्जा काश्त है और ना ही आवेदक ने स्व0 टोडा के सभी वारीसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये है जिसके अभाव में आवेदक का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र की धारा 5 में दर्ज तथ्य गलत व मनघड़न्त होने से अस्वीकार है। उक्त धारा में उत्तरदाता के दादा का स्वर्गवास 1980 के लगभग होना गलत दर्ज किया है बल्कि उत्तरदाता के दादा का स्वर्गवास सन् 1978 में हुआ है। स्व0 टोडा आवेदक का दादा नही है। इस कारण उसको स्वर्गवास होने का पता नही है और उक्त धारा में आवेदक ने स्व0 टोडा का सन् 1980 में स्वर्गवास होना बताकर अपने आपको उस समय मात्र 8 वर्ष की उम्र का होने का कथन किया है। जिसके मुताबिक आवेदक का जन्म सन् 1972 में होना प्रमाणित होता है तथा आवेदक ने यह भी दर्ज किया है कि उसके पिता का स्वर्गवास हुआ तब वह 2 वर्ष का था जबकि उत्तरदाता के पिता प्रभात का स्वर्गवास दिनांक 25.10.1962 को हो गया था। इस कारण आवेदक के कथन अनुसार स्व0 प्रभात की मृत्यु होने के करीबन 10 वर्ष पश्चात आवेदक पैदा हुआ है। इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक स्व0 प्रभात का पुत्र व उत्तरदाता का भाई नही है। उत्तरदाता की बहिन नानची का काफी वर्षो पहले विवाह कर दिया तथा तब से उसने प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा उत्तरदाता के पक्ष में त्याग करके व छोड़ दिया था और अपने ससुराल रहने लग गई और वही पर काबिज व आबाद हो गई। प्रश्नगत कृषि भूमि पर उत्तरदाता की बहिन का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही खातेदारी दर्ज रही है तथा नानची का स्वर्गवास भी हो गया है जिसने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई चारा जोही नही की है लेकिन आवेदक ने गलत तथ्यों के आधार पर वेग प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको खारिज किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त धारा में आवेदक ने तमाम तथ्य झुठ व बनावटी दर्ज किये है जिस पर विश्वास किया जाना उचित नही है। आवेदक स्व0 टोडा व प्रभात का वारीसान नही है और ना ही उत्तरदाता का भाई है। इस कारण टोडा व प्रभात का स्वर्गवास होने प्रश्नगत कृषि भूमि में स्व0 प्रभात के हिस्से की भूमि का इन्तकाल उत्तरदाता व उसके भाई नन्दलाल के पक्ष में भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई है। तब से उत्तरदाता ने प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है और अपनी सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग कर रहा है लेकिन आवेदक ने आज तक उक्त इन्तकाल के संबंध में व खातेदारी दर्ज होने बाबत कोई एतराज व चाराजोही क्यों कैसे नही की है। इसका आवेदक ने कोई कारण दर्ज नही किया है आवेदक को प्रश्नगत कृषि भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है और राजस्व कर्मचारियों ने किसी प्रकार की अवहेलना नही की है। आवेदक का उत्तरदाता व उसके पूर्वजों से कोई सम्बन्ध व लेना देना नही है आवेदक ने अपने पिता का नाम भी सही दर्ज नही किया है। जबकि उत्तरदाता के पिता का नाम गलत तरीके से दर्ज करके उसका फर्जी पुत्र बनकर प्रश्नगत कृषि भूमि हड़पने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। स्व0 के वारीसान उत्तरदाता व उसका भाई नन्दलाल एवं बहिन नानची देवी पैदा हुए है जिसमें से उक्त नन्दलाल व नानची देवी का स्वर्गवास हो चुका है। और उत्तरदाता की माता चूनी देवी उसके पति प्रभात का स्वर्गवास हो जाने के बाद उत्तरदाता के घर को छोड़कर पूरोहित का बास पिपराली जिला सीकर अन्य व्यकित के संग रहने लग गई [illegible] उक्त अन्य व्यक्ति के सहवास से आवेदक पैदा हुआ है। उसके बाद सन् 1983 में उत्तरदाता की माता का स्वर्गवास [illegible] लेकिन आवेदक ने जान बुझकर बेईमानी पूर्वक आशय से अपने आपको [illegible] प्रभा[illegible] पुत्र बताकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र की धारा 8 में दर्ज तथ्य गलत [illegible] है। उक्त धारा में दर्ज सम्पूर्ण प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदक व प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 6 [illegible] कोई हक हिस्सा नही है और ना ही उनका कब्जा काश्त है और ना ही खातेदार काश्तकार है उक्त सम्पूर्ण प्रश्नगत कृषि भूमि में हक अधिकार कैसे कब व किस प्रकार किस हैसियत से पैदा हुए है और ना ही आवेदक ने यह भी दर्ज नही किया है कि उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि में हक अधिकार कैसे कब व किस प्रकार किस हैसियत से पैदा हुए है। और ना ही आवेदक ने उत्तरदाता के विरूद्व बेदखली का प्रार्थना पत्र पेश किया है और ना ही स्व0 टोडा के सभी

ए.सी.ई.एम. (प्र.दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

वारिसानों को पक्षकार संयोजित किया है जिसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 9 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक 2 वर्ष व 11 वर्ष का कब था इसके बारे में कुछ भी दर्ज नही किया है। हालांकि उक्त धारा में आवेदक ने ग्राम पिपराली में रहना व यहां पर ही उसका पालन पोषण होना एवं वही पर जमीन काश्त करना एवं प्रार्थना पत्र में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि को उत्तरदाता द्वारा काश्त करने का तथ्य स्वीकार किया है। इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक का जन्म ग्राम पिपराली में होना और वहां पर ही पालन पोषण होना एवं वही पर ही जमीन काश्त करना साबित है और आवेदक द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि काश्त नही करना बल्कि उततरदाता द्वारा काश्त करना सह स्वीकार किया है। उक्त तथ्य आवेदक के विरूद्व विबन्ध है। उत्तरदाता के पिता स्व0 प्रभात के सहवास से चूनी देवी के आवेदक पैदा नही हुआ है बल्कि ग्राम पिपराली में चूनी देवी अन्य के संग रहने से व सहवास से आवेदक पैदा हुआ है। जिसके मुताबिक ग्राम पिपराली में ही आवेदक का परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र शिक्षा का रिकॉर्ड व अन्य पहचान संबंधी रिकॉर्ड बने हुए है तथा ग्राम चिराना बागोरिया की ढ़ाणी व पहाड़िला मे आवेदक का किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नही है। आवेदक ने उत्तरदाता के सगे भाई नन्दलाल के बारे में गलत तथ्य दर्ज किये है जबकि नन्दलाल जब तक घर पर रहा है तब तक उत्तरदाता के पास ही रहा है और उत्तरदाता के पास ही खाना खाया है। उत्तरदाता ने ही उसकी सेवा की है तथा उक्त नन्दलाल ने खुश होकर प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा उत्तरदाता को दे दिया था उसके पक्ष में हक त्याग कर दिया है और उसके बाद नन्दलाल सांगलिया धूणी मकराना में बाबाजी बन गया तब गुरूशरण में आने के बाद वहां पर उसने अपना नाम लहरीदास उर्फ नन्दलाल पुत्र खियादास उर्फ प्रभातराम रखा था। इसके पश्चात दिनांक 29.08.2017 को उत्तरदाता के भाई नन्दलाल का अविवाहित स्वर्गवास हो गया है। जिसका एक मात्र वारीस व उत्तराधिकारी उत्तरदाता है। उक्त नन्दलाल कभी भी ग्राम पिपराली में नही रहा है और ना ही आवेदक के साथ रहा है। आवेदक ने उक्त धारा में दिनांक 10.09.2017 व 15.09.2017 की गलत तारीख दर्ज करके आधारहीन प्रार्थना पत्र बिना टाईटल व कब्जे काश्त के पेश किया है जिसको खारीज किया जावे। प्रार्थना पत्र की धारा 10 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत कृषि भूमि का कभी भी खातेदार काश्तकार दर्ज नही रहा है और ना ही उनका कब्जा काश्त रहा है। इसलिए कानूनी दृष्टि से खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी के विरूद्व आवेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य है।

<u>अतिरोक्तर</u>

आवेदक ने स्व0 टोडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है लेकिन स्व0 टोडा के पुत्र गणेशा के वारीसान को पक्षकार नही बनाये गये है इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। आवेदक स्व0 टोडा व प्रभात का वारीस नही है और ना ही उत्तरदाता का भाई है। अर्थात आवेदक प्रभात के सहवास से चुनी देवी के पैदा नही हुआ है। बल्कि अन्य के संग रहने से व सहवास से पैदा हुआ है इसलिए स्व0 टोडा व प्रभात की प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में आवेदक को कोई लोकस्टोडाई नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रश्नगत कृषि भूमि का आवेदक ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही उनका कब्जा काश्त है और ना ही आवेदक ने बेदखली की सिद्वि चाही है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें। प्रश्नगत कृषि भूमि का उत्तरदाता खातेदार काश्तकार है और निर्विरोध रूप से कब्जा काश्त है एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। इसलिए आवेदक को खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनी हक नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। ग्राम पंचायत चिराना व अन्य रिकॉर्ड से आवेदक स्व0 प्रभात का पुत्र स्व0 टोडा का पौत्र होना साबित नही है और ना ही आवेदक ने इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] आवेदक ने गलत व फर्जी तरीके से अपने आपकों स्व0 प्रभात का पुत्र व उत्तरदाता भाई [illegible] प्रश्नगत कृषि भूमि हड़पने की बेईमानी से वेग प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको [illegible] किया है कि उसका पालन पोषण ग्राम पिपराली में हुआ है और [illegible] ही कृषि भूमि काश्त करता है और प्रश्नगत भूमि उत्तरदाता काश्त करता है परन्तु आवेदक ने जा[illegible]कर प्रार्थना पत्र में अपनी सही उम्र दर्ज नही की है और ना ही अपने पिता का नाम दर्ज किया है लेकिन प्रार्थना पत्र की धारा 9 में दर्ज तथ्य आवेदक के विरूद्व है इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की तथा कथन किया गया कि वाके ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी में आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (न्या.दं.)
नवलगढ़

नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 स्थित है एवं ग्राम पहाड़िला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 663/180 रकबा 1.2150 है0 भूमि को गलत राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने के आधार पर विक्रय करके व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करके खुर्द–बुर्द नही करें व उक्त आराजी में तादौराने दावा आवेदक की भूमि को वेस्ट व डैमेज नही करे तथा कोई नया रास्ता कायम नही किया जावे। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा स्थगन आदेश को कंफर्म किया जावे।

वकील अनावेदक ने बहस वकील आवेदक का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि स्व0 टोडा के पुत्र गणेशा के वारीसान को पक्षकार नही बनाये गये है इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। आवेदक स्व0 टोडा व प्रभात का वारीस नही है और ना ही उत्तरदाता का भाई है। अर्थात आवेदक प्रभात के सहवास से चुनी देवी के पैदा नही हुआ है बल्कि अन्य के संग रहने से व सहवास से पैदा हुआ है इसलिए स्व0 टोडा व प्रभात की प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में आवेदक को कोई अधिकार नही है। प्रश्नगत कृषि भूमि का आवेदक ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही उनका कब्जा काश्त है और ना ही आवेदक ने बेदखली की सिद्वि चाही है। प्रश्नगत कृषि भूमि का उत्तरदाता खातेदार काश्तकार है और निर्विरोध रूप से कब्जा काश्त है एवं उपयोग उपभोग कर रहा है इसलिए आवेदक को खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनी हक नही है। ग्राम पंचायत चिराना व अन्य रिकॉर्ड से आवेदक स्व0 प्रभात का पुत्र स्व0 टोडा का पौत्र होना साबित नही है और ना ही आवेदक ने इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। आवेदक ने गलत व फर्जी तरीके से अपने आपकों स्व0 प्रभात का पुत्र व उत्तरदाता भाई बताकर प्रश्नगत कृषि भूमि हड़पने की बेईमानी से वेग प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको खारिज किया जावे। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि उसका पालन पोषण ग्राम पिपराली में हुआ है और ग्राम पिपराली में ही कृषि भूमि काश्त करता है और प्रश्नगत भूमि उत्तरदाता काश्त करता है परन्तु आवेदक ने जान बुझकर प्रार्थना पत्र में अपनी सही उम्र दर्ज नही की है और ना ही अपने पिता का नाम दर्ज किया है इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत नजीर पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी में आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 स्थित है एवं ग्राम पहाड़िला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 663/180 रकबा 1.2150 है0 स्थित है। उक्त भूमि आवेदक के दादा स्व0 टोड़ा पुत्र लादू के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसके आवेदक के दादा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। आवेदक के दादा अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी बाबत कोई वसीयत निष्पादित नही की थी। आवेदक के दादा का स्वर्गवास 1980 के लगभग हुआ उस समय आवेदक मात्र 8 वर्ष का था तथा इससे पूर्व ही आवेदक के पिता का स्वर्गवास हो गया था तब आवेदक मात्र 2 वर्ष का ही था। हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के दादा स्व0 टोडा की खातेदारी भूमि का विरासतन राजस्व रिकॉर्ड उनके पुत्र गणेश व मृत पुत्र प्रभात के पुत्र मूलाराम व नन्दलाल, बनवारी व पुत्री नानची के नाम से दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विधि विरूद्व रूप से स्व0 टोडा के मृत पुत्र प्रभात के पुत्र मूलाराम, नन्दलाल, बनवारी व पुत्री नानची के नाम से दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विधि [illegible] टोडा के मृत पुत्र प्रभात के सभी वारिसान के नाम दर्ज नही करते हुये अकेले [illegible] लाल के नाम से दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया है। उक्त [illegible] अधिकारों पर शुन्य प्रभावी है। इससे स्पष्ट होता है कि विवाद [illegible] आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड पर नही लिया गया। वाद [illegible] का निस्तारण साक्ष्य के आधार पर साबित होगा। अतः विवादित भूमि शामलाती संयुक्त खाते [illegible] की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत होता।

2. **सुविधा का संतुलन :–** बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी वारिसानों का हक व अधिकार होता है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूर्णीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में सहखातेदार होने के कारण अपूर्णीय क्षति आवेदक के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्तविवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बागोरियां की ढ़ाणी में आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 1.40 है0 स्थित है एवं ग्राम पहाड़िला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 663/180 रकबा 1.2150 है0 भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 03.10.2017 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested